तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-6-15	वकील उभयपक्ष उप० हैं। पत्रावली दि० 12-6-15 को कैम्प टोकसी पर लोक अदालत में पेश हो।	235-58 दि० 6/6/
मुरारी प्रभातीलाल मिट्ठूलाल	12-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर टोकसी पर पेश हुई। वादी प्रभाती, मुरारी, मिट्ठू तथा प्रतिवादी सुरेशचन्द, महेश शर्मा उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि दावे में तकनीकि कमी होने के कारण वादीगण को नया दावा पेश करने की अनुमति दी जावे, संलग्न दस्तावेज वापिस लौटाए जाने का व यह दावा वापिस लेने का आदेश प्रदान किया जावे। अतः प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण को इस दावे को वापिस लेने की, प्रस्तुत दस्तावेज वापिस लौटाने की एवं नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	सुरेशचन्द शर्मा महेश शर्मा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
235558 01/6/11

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. परभाती पुत्र नत्थू नाई निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. मुरारी पुत्र नत्थू नाई निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. मिठ्ठू पुत्र नत्थू नाई निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र मिश्रीलाल बैरवा निवासी गढी सुनेल तह. बामनवास
2. गौरन्ती बेवा बृजमोहन ब्राह्मण निवासी टोकसी तह. गंगापुर सिटी
3. सुरेश चंद पुत्र बृजमोहन ब्राहमण निवासी टोकसी तह. गंगापुर सिटी
4. महेश चंद पुत्र बृजमोहन ब्राहमण निवासी टोकसी तह. गंगापुर सिटी
5. सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

दावा घोषण खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 150/2014

वादीगण की ओर से वादी परभाती मुरारी व मिठ्ठू की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सुरेश चंद व महेश की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 12.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण अपना दावा वापिस लेते है। अतः वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है साथ ही प्रस्तुत दस्तावेज भी वापिस लौटाने की, नवीन दावा प्रस्तुत करने अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 12.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	